

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचंद पटेल पथ,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-16.07.18

विषय: वित्तीय वर्ष-2018-19 में राज्य स्कीम से बिहार महादलित विकास मिशन को सहायक अनुदान-वेतन मद में ₹130.00 लाख एवं सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में ₹17370.00 लाख अर्थात् कुल ₹17500.00 लाख (एक सौ पचहत्तर करोड़ रू०) मात्र अनुदान के रूप में उपलब्ध कराते हुए योजना के कार्यन्वयन करने की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय करने की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

2- स्वीकृत राशि राज्य स्कीम मद से मांग संख्या-44 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण, लघु शीर्ष-102-आर्थिक विकास, उपशीर्ष-0115-महादलित विकास हेतु, 0115.3104-सहायक अनुदान-वेतन, 0115.3106-सहायक अनुदान-गैर वेतन-विपत्र कोड-44-2225011020115 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3- इस स्वीकृत राशि के लिए निकासी पदाधिकारी सहायक निदेशक(मु०) अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग होंगे। वे राशि की निकासी कर राशि को बिहार महादलित विकास मिशन, पटना के पी० एल० खाता संख्या-PLA-264 में हस्तांतरित करेंगे। मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष-2018-19 में बिहार महादलित विकास मिशन, पटना के माध्यम से कार्यान्वित होनेवाली स्वीकृति योजनाओं, यथा वेतन एवं गैर वेतन पर ही राशि का व्यय किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।

4- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक- 2561 दिनांक 17-4-98 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/ राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

5- महालेखाकार, बिहार को इस राशि से व्यय से संबंधित अंकेक्षण करने का अधिकार होगा।

6- निकासी एवं व्यय पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलना महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।


7- राशि के समुचित एवं नियमानुसार उपयोग के लिए मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे तथा योजना से संबंधित व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

8- इस राशि की स्वीकृति आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०-5/निदे०-महा० वि०-56-03/2015 के पृष्ठ-119/टि० पर दिनांक-02.07.2018 को प्राप्त है।

9- सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

10- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट प्रावधान एवं उद्व्यय उपलब्ध है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

1648

-2-

ज्ञापांक- 5/निदे0-महा0 वि0-56-03/2015- 23 पटना, दिनांक: 16.07.18


प्रतिलिपि : (1) वित्त विभाग, बजट शाखा, / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना / मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना / निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / अपर सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग / सहायक निदेशक अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / अवर सचिव, प्रभारी बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / लेखा शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, (दोहरी प्रति में) / प्रशाखा पदा0-4(निदे0), अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) सहायक निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं CFMS प्रणाली में आवंटन की प्रविष्टि कराने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(5) आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव 16.7.18